

तारीख
हुक्म

नम्बर
अहम
हुक्म
में

28/4/23 वकील पत्रकारान हाजिरा पनावली
मजिस्ट्रेट थिअर कोर्ट मी प्रेषित

30/4/23 पनावली पेडा इदी वकील
पत्रकारान हाजिरा ^{मूलवादी है} वकील
रेसजुडिकेरी थारा 11 स्वीकार
किया जाकर वही कर वार
खारिज किया जा चुका है
अतः टी प्रथमा पर चलने
का कोई अर्थियकर नहीं है।
लिखना प्रथम कर प्रथमा पर
टी खारिज किया जा रहा है
पनावली पुनः लेका गया
से कर ही जाकर शामिल
मूलवाद है।
न